राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग

क्रमांक प.6(62)प्र.सु./अनु.–3/2004/ 61766 जयपुर, दिनांक 01.08.2018
6/8/18

आज्ञा

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लागू किए गए अनुसूचित जाति और जनजाति ;अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम 17(क) के तहत निम्नानुसार उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानिटरिंग समिति का गठन करने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सब डिविजन मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. उपखण्ड से राज्य विधान सभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्य	सदस्य
3. उपखण्ड से अनुसूचित जातियो एवं जनजातियो से संबन्धित पंचायतीराज संस्थाओ के निर्वाचित सदस्य	सदस्य
4. पुलिस उप अधीक्षक	सदस्य
5. सब डिविजन क्षेत्र के तहसीलदार	सदस्य
6. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य। (गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात्),	सदस्य
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भिन्न प्रवर्गों से दो अनधिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त (गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात)	सदस्य
8. ब्लॉक विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन, अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15 क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

उक्त समिति में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन लेकर किया जायेगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत भी राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है। अतः यह समिति उक्त अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्य करते हुए अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

उक्त समिति का स्वरूप स्थायी होगा तथा इसका प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान होगा।

आज्ञा से

1/8/18

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक प.6(62)प्र.सु./अनु.–3/2004 61766-865 जयपुर, दिनांक 8/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह/वित्त/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/गृह विभाग/कार्मिक विभाग/वित्त विभाग/राजस्व विभाग/विधि विभाग/संसंदीय कार्य विभाग/जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. श्री आनन्द कुमार, आई.ए.एस., नोडल अधिकारी, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
7. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है।
9. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राजस्थान जयपुर/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अहमदाबाद/नई दिल्ली।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, लाल कोठी जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
14. समस्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट .....
15. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त/उप अधीक्षक,.....
16. समस्त उपखण्ड़ अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी/तहसीलदार .....
17. उप निदेशक/सहायक निदेशक/ब्लॉक समाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
18. गार्ड फाईल। संदर्भ सं. प.11(72)()एपी/एसजेइ/13.

8/8/18

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी